UPSH010008742026

**न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–07, शाहजहाँपुर।**
**प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–454/2026**
**CNR No.UPSH010008742026**

**1– अजान उर्फ मुन्नान,** उम्र करीब 20 वर्ष, **पुत्र असलम,**
**2– अब्दुल रजा,** उम्र करीब 19 वर्ष, पुत्र मोसीन खान, सर्वनिवासीगण मोहल्ला रामबाग, थाना निगोही, जिला–शाहजहाँपुर।

. . . प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

**बनाम**

**उत्तर प्रदेश राज्य।**

मु0अ0सं0–50/2026,
धारा–8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–कटरा,
जिला–शाहजहाँपुर।

**दि0:–10–03–2026**

आवेदकगण/अभियुक्तगण **अजान उर्फ मुनान एवं अब्दुल रजा,** मुकदमा अपराध संख्या–50/2026, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना–कटरा, जिला शाहजहाँपुर के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

**2–** आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता **वसीम खॉ पुत्र असलम खॉ** द्वारा शपथ पत्र में वर्णित किया गया है कि वह आवेदकगण/अभियुक्तगण रिश्ते में भाई हैं। अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो दिया गया है और न ही निरस्त हुआ है। अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त कथनों के प्रतिकूल कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है।

**3–** अभियोजन कथानक के अनुसार, उपनिरीक्षक श्री सागर मानव द्वारा फर्द बरामदगी के आधार पर दिनॉक 15.02.2026 को थाना कटरा, जिला शाहजहॉपुर पर इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि दिनांक 15.02.2026 को मैं उ0नि0 सागर मानव मय हमराही हे0का0 716 अंकुर मय का0 2300 अंकित कुमार मय का० 2685 प्रवीन शर्मा मय का0 1858 योगेन्द्र सिंह के वास्ते देखरेख शान्ति कानून व्यवस्था रोकथाम जुर्म जरायम चौकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व तलाश वाछिंत रपट न0 40 समय 12.45 बजे रवाना होकर प्राइवेट वाहन से गस्त एवं तलाश वाछिंत अपराधी देखभाल इलाका में मामूर थे। गस्त करते हुये जब हम पुलिस वाले सिउरा मोड पर पहुँचे तो मुखबिर खास मिला उसने बताया कि दो व्यक्ति हुलास नंगला पुल पार बाँई ओर सर्विस रोड पर खड़े हैं, अगर जल्दी की जाए तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की इस बात पर विश्वास करके एक दूसरे की जामातलाशी ले देकर की मुखबिर व हम पुलिसकर्मी पर कोई नाजायज वस्तु जुर्म से संबन्धित नहीं है। इतमिनान किया कि इसके बाद मुखबिर को साथ लेकर बताये गये स्थान पर पहुँचने से पहले अपना प्राईवेट वाहन गाड़ी रुकवाकर हुलास नंगला पुल पार करके बाईं और सर्विस रोड पर कुछ दूरी से इशारा करके बताया कि जो दो व्यक्ति खडे हैं। इन्ही

Digitally signed by NUSRAT KHAN
Date: 2026.03.17 11:19:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के पास स्मैक पाऊडर है और मुखबिर वहाँ से उतरकर चला गया। हम पुलिस वालों ने मौका दिया बगैर एक बारगी दविश देकर घेर घोटकर इन दोनों व्यक्तियों को मौके पर ही पकड़ लिया। दोनों व्यक्तियों से बारी 2 पूछा गया तो बताया गया कि हमारे पास नशीला पदार्थ स्मैक पाऊडर है। स्मैक नशीला पदार्थ होने के कारण इनको धारा 50 NDPS ACT में दिये प्रावधानों के संबन्ध में बताया गया कि आप दोनों अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से लिवा सकते है। उक्त दोनों को बताया कि आप जैसा उचित समझे इस पर मुझ उ0नि0 ने अपने मो0नं0 80817XXXXX से प्रभारी निरीक्षक कटरा के CUG नं0 94544XXXXX पर समय 20. 42 बजे पूरे घटनाक्रम के बारे मे अवगत कराया तत्पश्चात प्रभारी निरीक्षक कटरा द्वारा घटनाक्रम के बारे में श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय को उनके CUG नं0 94544XXXXX पर अवगत कराया गया। श्रीमान क्षेत्राधिकारी तिलहर व प्रभारी निरीक्षक कटरा दोनों अधिकारीगण समय करीब 21.55 बजे एक साथ मौके पर घटना स्थल पर आये, दोनों अधिकारीगणों की मौजूदगी में धारा 50 NDPS ACT का नोटिस पर सहमती लेकर दोनों व्यक्तियों से बारी बारी से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम अजान उर्फ मुन्नान पुत्र असलम निवासी मो० रामबाग थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 20 वर्ष बताया, इसकी जामा तलाशी से काली पेन्ट की पहनी दाहिनी जेब से एक सफेद पिन्नी के अन्दर दूसरी पिन्नी में गुलाबी रंग की स्मैक पाउडर व बायी जेब से एक 100 रु0 का नोट और एक स्क्रीन टच फोन बरामद हुए। उक्त बरामद शुदा स्मैक पाउडर को विवेचना किट से इलैक्ट्रानिक तराजू निकालकर वजन किया गया तो उक्त नशीला पदार्थ स्मैक पाउडर का कुल बजन 42 ग्राम पाया गया। तत्पश्चात दूसरे व्यक्ति से नाम पता पूछा तो इसने अपना नाम अब्दुल रजा पुत्र मोसीन खान निवासी मो० रामबाग थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 19 वर्ष बताया, इसके पहने जीन्स की दाहिनी जेब से एक सफेद पिन्नी में गुलाबी रंग की स्मैक पाउडर व वायी जेब से 150 रु0 जिसमें 1 नोट 100 रु0 का व 1 नोट 50 रु0 का एक स्क्रीन टच मोबाईल बरामद हुए। उक्त स्मैक पाऊडर को इलेक्ट्रानिक काँटा से तौला गया तो इसका वजन 40 ग्राम पाया गया। बरामद नशीले पदार्थ रखने का उक्त दोनों से लाइसेंस तलब किया तो दोनों व्यक्ति ही दिखाने में कासिर रहे। अतः दोनो व्यक्तियों को इनके जुर्म धारा 8/21 NDPS ACT से अवगत कराते हुए समय करीब 22.02 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी के समय जनता का कोई भी व्यक्ति भलाई बुराई के कारण गवाही हेतु तैयार नहीं हुआ। उक्त दोनों व्यक्तियो से बरामद कुल नशीला पदार्थ स्मैक पाऊडर 82 ग्राम को लाने के बारे में पूछा गया तो बताया कि यह नशीला पदार्थ हम लोग एक साथ सतेन्द्र नि० निगोही (शाह०) से लाये थे जिसको हम छोटे नि० लाईखेड़ा (शाह०) को देने जा रहे थे। बरामद माल को दो अलग सफेद कपड़े में रखकर सील कर नमूना मोहर तैयार की गई, जिसको परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जायेगा। उक्त माल की बरामदगी श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय तिलहर के निर्देशन में धारा 105 BNSS के अध्यापन में विडियोग्राफी की गई। दौराने गिरफ्तारी मानवाधिकार आयोग व सर्वोच्च न्यायालय के आदेश–निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना जरिये उचित माध्यम परिजनो को दी जायेगी। फर्द मोके पर मुझ उ0नि0 द्वारा टार्च व गाड़ी की पर्याप्त रोशनी में तैयार की गयी। सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी ई–साक्ष्य एप पर दर्ज है । जिसका SID न0 2912418523810909 है। फर्द की एक प्रति दोनों अभियुक्तगण की सहमति से अब्दुल रजा को दी गयी। अलामात बनवाये गये। उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

**4–** आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पूर्व सजायाफ्ता नहीं हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के उपरान्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे। आवेदकगण/अभियुक्तगण गवाहन सबूत को नहीं तोड़ेंगे तथा भागने का अंदेशा नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण अपने घर में कमाने वाले व्यक्ति हैं, उनके अतिरिक्त घर की देखभाल करने वाला अन्य नहीं है। कथित घटना दिनांक 15.02.2026 की है तथा थाना पुलिस द्वारा कथित घटना में आवेदकगण/अभियुक्तगण अजान उर्फ मुन्नान व अब्दुल रजा से क्रमशः 42 ग्राम व 40 ग्राम स्मैक की फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है तथा बरामदशुदा मोबाइल व रूपये उनके हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी का जनता का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण से बरामद दर्शायी गयी कथित स्मैक की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है। कथित घटना फर्जी व मनगढ़ंत प्रतीत होती है। थाना कटरा पुलिस द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उनके घर से उठाकर अवैध वसूली में सफल न होने पर फर्जी रूप से उपरोक्त मुकदमें में नामित कर चालान कर दिया गया है। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण को दौरान विचारण मुकदमा जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया गया।

**5–** विद्वान विशेष अभियोजन (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कथन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण अजान उर्फ मुन्नान व अब्दुल रजा के पास से क्रमशः 42 व 40 ग्राम स्मैक पाउडर (नशीला) पदार्थ बरामद हुआ है। आवेदकगण/अभियुक्तगण नशीले पदार्थ का कारोबार करते हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत के हकदार नहीं है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

**6–** मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष अभियोजन (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

**7–** अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण **अजान उर्फ मुन्नान व अब्दुल रजा** के पास से क्रमशः 42 व 40 ग्राम स्मैक पाउडर पाया गया, जो **केन्द्रीय सरकार के नोटिफीकेशन का. 1055 (ई0) दिनांक 19.10.2001 केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की सारणी में इन्द्राज संख्या 56 में अल्प मात्रा (5 ग्राम) से अधिक किन्तु वाणिज्यिक मात्रा (250 ग्राम) से कम है।** आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 16.02.2026 से जिला कारागार, शाहजहाँपुर में निरूद्ध है। अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रकरण में समस्त साक्षीगण पुलिस बल के सदस्य हैं और उक्त साक्षियों को डराने–धमकाने की संभावना नहीं है। प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं बरामद स्मैक की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर विचार करते हुए न्यायालय की राय में आधार जमानत पर्याप्त है। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **अजान उर्फ मुन्नान व अब्दुल रजा,** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–50/2026, धारा–8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना कटरा, जिला शाहजहाँपुर के अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण **अजान उर्फ मुन्नान व अब्दुल रजा,** द्वारा रूपये **75,000/–**

**75,000/– (पचहत्तर–पचहत्तर हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो पर ज़मानत पर रिहा किया जाये।

1– आवेदकगण/अभियुक्तगण घटना से अवगत साक्षियों को डरायेंगे–धमकायेंगे नहीं तथा मामले के अनुसंधान तथा विचारण में सहयोग करेंगे।

2– विचारण के दौरान अभियुक्तगण प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे तथा मामले के विचारण में विलम्ब कारित नहीं करेंगे।

3– विचारण के दौरान साक्षियों की उपस्थिति होने पर अभियुक्तगण अनावश्यक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामले को विलंबित नहीं करेंगे।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

**दिनांक–10–03–2026**

**(नुसरत खान)**
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–07, शाहजहाँपुर।
ID–UP1604